

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान जयपुर


क्रमांक: NRHM/RCH-II/JSY/11/ 2325
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

दिनांक: 8/8/11

विषय:-जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जिले के सभी चिकित्सा संस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं एवं बीमार नवजात शिशुओं हेतु सभी आवश्यक दवाईयां व अन्य सामग्री (Consumables) की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि राज्य में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अतिशिघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं एवं बीमार नवजात शिशुओं के ईलाज हेतु सभी प्रकार की सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्रसूताओं को निःशुल्क भोजन, प्रसूताओं एवं बीमार नवजात शिशुओ हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशालय के पत्र क्रमांक आरसीएच/भण्डार/2011-12/854-93 दिनांक 13.07.11 एवं 1044-84 दिनांक 27.07.11 के द्वारा सभी जिलों को प्रसूताओं एवं बीमार नवजात शिशुओं के ईलाज हेतु आवश्यक दवाईयां व अन्य सामग्री (Consumables) कय किये जाने हेतु बजट आवंटित किया जा चुका है। जिसके साथ आवश्यक दवाईयों एवं अन्य सामग्री (Consumables) की सूची भी भिजवाई जा चुकी है। दवाईयों की सूची पुनः संलग्न कर भिजवायी जा रही है। अतः सूची के अनुसार दिनांक 25.08.11 तक आवश्यक दवाईयां व अन्य सामग्री (Consumables) कय कर जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रसूताओं व बीमार नवजात शिशुओं को निःशुल्क उपलब्ध करायी जा सके। आपके द्वारा की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट दिनांक 25.08.11 से पूर्व निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



निदेशक (आरसीएच)
दिनांक 8/8/11

क्रमांक: NRHM/RCH-II/JSY/11/ 2325

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, मिशन निदेशक(एनआरएचएम), जयपुर।
9. निदेशक, आरसीएच/जन स्वास्थ्य/एड्स/आईईसी मुख्यालय, जयपुर।
10. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, एनआरएचएम/मुख्य लेखा अधिकारी, प.क., मुख्यालय, जयपुर।
12. जिला प्रमुख, समस्त जिले।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-समस्त।
14. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन-जयपुर/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर /कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
15. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक।
16. डिविजनल एमसीएच कॉर्डिनेटर अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर।
17. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी/अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प.क. /स्वास्थ्य।
18. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ समस्त ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक समस्त जिले।
19. समस्त चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी उप जिला अस्पताल/सेटेलाईट अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
20. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि समस्त जिलों में एवं सम्बन्धितों को ई-मेल द्वारा सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
21. रक्षित पत्रावली।


 निदेशक (आरसीएच)